23/5/18	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट उ० ख० मा० वि० बांसा पर मूल वाद के साथ पेश हुई। प्रा० पत्र में उल्लेखित विवादित भूमि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण की सह खातेदारी की भूमि है। जिससे प्रत्येक सह खातेदार को सहखातेदारी की भूमियों का उपयोग व उपभोग करने का समान अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर ता फैसला वाद उभय पक्षकारान के अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 881 रकबा 0.22 है० कुल किता 1 का कुल रकबा 0.22 है० खसरा नम्बर 879, 880 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.07 हैक्टेयर व खसरा न० 878 का रकबा 1.36 है० वाके ग्राम कुशालपुरा तहसील चौमूं के मौके की स्थिति बनाये रखे एवं किसी विशिष्ट भू-भाग का बेचान नहीं करे। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा विवादित भूमि के रहन एवं विरासत के नामान्तरकरण पर लागू नहीं होगा पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय कैम्प कोर्ट उ०ख० मा० वि० बांसा पर सुनाया गया। पत्रावली मूल वाद के संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ जिला जयपुर

Scanned by CamScanner